दिल्ली होम गार्ड में महिला कार्मिक

3570. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली होम-गार्ड में महिला-कार्मिकों को वर्दी के रूप में कमीज और पैंट पहनने के लिये मजबूर किया जा रहा है जबकि दिल्ली पुलिस में महिला कार्मिकों के लिए ऐसा करना अपेक्षित नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) दिल्ली पुलिस और दिल्ली होप गार्ड के महिला कार्मिकों के लिए निर्धारित वर्दी में पैंट और कमीज शामिल है । किन्तु, दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस के उच्च तथा निम्न अधीनस्थ कार्मिक यदि चाहे तो सलवार कमीज भी पहन सकते हैं ।

(ख) किसी महिला स्वयंसेवी से महानिदेशक, होप गार्ड, दिल्ली प्रशासन को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस में पुलिस कार्मिकों की पदोन्नति

3571. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में 20 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने के पश्चात् भी पुलिस कार्मिकों को पदोन्नत नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ऐसे पुलिस-कार्मिकों को, जिन्होंने बीस से अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) निर्धारित नियमों के अनुसार हैड कांस्टेबलों के 67 प्रतिशत पद न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा वाले और 40 वर्ष से कम आयु के स्थायी कांस्टेबलों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते है । यह विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके किया जाता है ।

शेष 33 प्रतिशत रिक्तियां 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कांस्टेबलों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती है। पदोन्नतियां चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार करके और सेवा अभिलेखों की जांच करने के बाद की गई सिफारिशों के आधार पर की जाती है ।

यह सम्भव है कि 20 वर्ष की सेवा वाले कुछ कार्मिक पदोन्नति के लिये उपयुक्त न पाए गए हों ।

Malpractices by M/s Sanchayani Savings and Investment(I) Limited, Calcutta

3572. SHRI SAMAR MUKHERJEE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have received a representation dated the 20th November, 1987 from the Sanchayani Investors' Association, Rajasthan alleging malpractices by M/s Sanchayani Savings and Investment (I) Limited, Calcutta; and

(b) if so, what steps Government propose to take to protect the interests of the investors ?